उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-297/2015/3513जेएल/22-3-15-300(36)/2015

लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2015

वारण्ट

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदी पिण्टू उर्फ नीरज शुक्ला पुत्र श्री हरीश शुक्ला को मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे कारागार में वापस भेज दिया जाये।

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-297/2015/3513जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-44587/सामा-1(1)/मानसिकबंदी/3/2014, दिनांक 14-10-2015 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in